

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : प.4(11) वित्त/राजस्व/2015

जयपुर, दिनांक : 21.11.2017


आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24 (ए) के अन्तर्गत, विभागीय पदोन्नति पुनरावलोकन समिति की बैठक दिनांक 20.11.2017 की अनुशंसा के आधार पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में अतिरिक्त निदेशक के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त श्री देवेन्द्र चौधरी का चयन, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक की वर्ष 2015-16 की रिक्ति के विरुद्ध योग्यता के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी पदोन्नति वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक के पद पर पे-बेण्ड 4 ग्रेड पे 9500/- में स्थानापन्न रूप से की जाती है। उक्त रिक्ति की तिथि 01.09.2015 है।

पदोन्नत अधिकारी की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se seniority) यथावत् रहेगी। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से क्रमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 5 (547)डीपीसी/2016-17/453 दिनांक 13.11.2017 के क्रम में।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निजी /रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : प.4(11) वित्त/राजस्व/2015

जयपुर, दिनांक : 21.11.2017

आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24 (ए) के अन्तर्गत, विभागीय पदोन्नति पुनरावलोकन समिति की बैठक दिनांक 20.11.2017 की अनुशंषा के आधार पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में संयुक्त निदेशक के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त श्री विजय कुमार पारीक का चयन, अतिरिक्त निदेशक की वर्ष 2016-17 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता एवम् योग्यता के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी पदोन्नति अतिरिक्त निदेशक के पद पर पे-बेण्ड 4 ग्रेड पे 8700/- में स्थानापन्न रूप से की जाती है। उक्त रिक्ति की तिथि 01.04.2016 है।

पदोन्नत अधिकारी की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se seniority) यथावत् रहेगी। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से क्रमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वेद प्रकाश गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 5 (547)डीपीसी/2016-17/453 दिनांक 13.11.2017 के क्रम में।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निजी /रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग